कृषि विज्ञान केन्द्र, कवर्धा

जिला – कबीरधाम (छ.ग.)

इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर

फोन नं 07741 299124, www.kvkkawardha.org ई–मेल. kvkkawardha@yahoo.in

क./व.वै. एवं प्र./कृ.वि.के/सं. नि./2017–18/383 कवर्धा, दिनांक: 16/08/2017

संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र, कवर्धा में निम्नलिखित रिक्त पदों पर निश्चित वेतन में संविदा के माध्यम से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र **वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र, कवर्धा, प्रक्षेत्र नेवारी, जिला – कबीरधाम (छ.ग.) पिन 491995** को संबोधित साधारण डाक/स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से दिनांक 15/09/2017 सायंकाल 5.00 बजे तक छत्तीसगढ के मूल निवासियों से विज्ञापन में दर्शित निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा। **डाक द्वारा विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र पर विभाग कृषि विज्ञान केन्द्र, कवर्धा जिम्मेदार नही होगा।** व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में सीधे/खुला अथवा कोरियर द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जावेंगे। पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	पदनाम	संविदा का निश्चित वेतन (रूपये प्रतिमाह)	श्रेणीवार आरक्षित पदों की संख्या				कुल
			अनारक्षित	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	
1.	सहायक ग्रेड – 1	15638/–	01	–	–	–	01
2.	सहायक ग्रेड – 2	13776/–	01	–	–	–	01

आवेदन की अंतिम तिथि 15/09/2017

शैक्षणिक अर्हता :– सहायक ग्रेड – 1 एवं सहायक ग्रेड – 2 पद पर सुगमता हेतु केन्द्र शासन/राज्य शासन/विश्वविद्यालय/राज्य शासन के मण्डल /निगम/आयोग/प्राधिकरण से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर संविदा नियुक्ति की जा सकेगी। इस हेतु उच्च/समकक्ष पद से सेवानिवृत्त कर्मचारी पात्र होंगे।

नियम एवं शर्तें :–

1. आवेदन पत्र के साथ स्व सत्यापित सभी प्रमाण पत्र एवं नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो संलग्न करें।
2. उपरोक्त सभी पदों को भरने/न भरने का तथा रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाने/घटाने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को होगा तथा किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम सर्वमान्य होगा।
3. भर्ती की प्रकिया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय गैर शिक्षकीय सेवा भर्ती विनिमय 2016 में विहित प्रावधान अनुसार की जावेगी।

4. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीद्वारों के लिए आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अ.ज.जा./अ.जा. एवं अ.पि.वर्ग हेतु आरक्षण) नियम 2012 के अनुसार होगा।
5. छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिला उम्मीद्वार हेतु प्रत्येक संवर्ग में 30 प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार उपलब्ध होगा।
6. निःशक्तजनों हेतु 06 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध रहेगा।
7. अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना संभव नही होगा। आवश्यक होने पर विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र की वैधता की जॉच करा सकता है।
9. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15/09/2017 को अभ्यर्थी की आयु 18 से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करें।
10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, महिला उम्मीद्वारों के लिए आयु सीमा में शिथिलता हेतु छत्तीसगढ़ शासन के नियमों व शर्तों के अनुसार रहेगी।
11. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तर पर कार्यरत कर्मी को अधिकतम आयु सीमा में 05 (पॉच) वर्ष की छूट प्राप्त होगी।
12. सहायक ग्रेड – 01 एवं सहायक ग्रेड – 2 के पद पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियुक्ति 70 वर्ष की आयु तक दी जा सकेगी।
13. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना होगा। आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति प्राप्त होने की स्थिति में साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
14. अलग–अलग पदों के लिए अलग–अलग आवेदन करना होगा।
15. अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रू. 300/– एवं अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों को रू. 200/– का डिमांड ड्राफ्ट वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र, कवर्धा के नाम से आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। किसी भी स्थिति में राशि वापस नही की जावेगी।
16. अपूर्ण,अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण एवं विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। तथा इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
17. संविदा नियुक्ति प्रथमतः 01 वर्ष अथवा परियोजना अवधि अथवा पद पर नियमित नियुक्ति (चयन/पदोन्नति द्वारा पदस्थापना) जो भी कम हो के लिए की जावेगी। पद नियमित रूप से न भरने की स्थिति में विश्वविद्यलाय की पूर्व अनुमति से संविदा नियुक्ति 01–01 वर्ष कर 01 बार बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए पृथक से नियुक्ति प्रकिया करने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी स्थिति में संविदा नियुक्ति 02 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नही की जावेगी। (02 वर्ष की संविदा नियुक्ति पूर्ण होने पर पुनः नियुक्ति प्रकिया किया जाना आवश्यक होगा)।
18. संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को नियमित कर्मियों के समान आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। किन्तु अन्य किसी प्रकार का अवकाश नही दिया जावेगा। आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश पूर्ण महिनों के लिए अनुपातिक आधार पर दिए जावेंगे।
19. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमीतिकरण के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं करेगा ना ही उस पद के विरूद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता/छूट दी जावेगी।

20. संविदा पर निश्चित वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते देय नहीं होंगे। किन्तु संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को उस पद हेतु निर्धारित टी.ए./डी.ए. प्राप्त होगा। यदि राज्य शासन/राज्य शासन के मण्डल निगंम/आयोग/विश्वविद्यालय/प्राधिकरण आदि से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है जो उन्हे छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार वेतन का भुगतान किया जावेगा। संविदा पर कार्यरत कर्मचारी का वेतन परियोजना/कृषि विज्ञान केन्द्र में रिक्त नियमित पद/तदर्थ पद के विरूद्ध आहरित होगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संविदा वेतन एवं टी.ए./डी.ए. के समय-समय पर किये जाने वाले संशोधन उसी तिथि से विश्वविद्यालय में भी लागू होंगे।

21. अभ्यर्थी का कार्य संतोषप्रद न होने पर एक महीना का नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। नियुक्ति व्यक्ति भी एक महीने की नोटिस देकर त्याग पत्र दे सकता है।

22. चयन हेतु साक्षात्कार का आयोजन नहीं होगा, भर्ती मेरिट के आधार पर की जावेगी।

23. कोई भी उम्मीद्वार जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।

24. कोई भी पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष के साथ विवाह किया हो जो पूर्व से विवाहित हो उसकी पत्नी जीवित हो, विश्वविद्यालय की सेवा के लिए अर्ह नहीं माने जावेंगे।

25. ऐसे अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।

26. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी। साथ संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

27. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं वेतनमान स्पष्ट रूप से लिखें।

28. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा लिफाफा 5 रू. का डाक टिकट सहित अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

29. पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 22/09/2017 को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.igau.edu.in or www.kvkkawardha.org पर अपलोड की जावेगी। जिन अभ्यर्थियों का अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत करना होगा, वे सूची प्रसारित होने के 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करेंगें। निर्धारित तिथि पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा।

30. विज्ञापन, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य समस्त संबंधित जानकारी विश्वविद्यालय की वेवसाईट www.igau.edu.in or www.kvkkawardha.org पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के वेवसाईट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केन्द्र, कवर्धा

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्व प्रमाणित हाल की पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें ।

प्रति,

....

....

....

विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक : ....

आवेदित पद का नाम एवं : ....

संविदा का निश्चित वेतन (रुपये प्रति माह) : ....

01.	आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में)	: ....
	(अंग्रेजी कैपिटल लेटर में)	: ....
02.	पिता/पति का नाम	: ....
03.	लिंग (महिला/पुरूष)	: ....
04.	वैवाहिक स्तर एवं विवाह दिनांक (विवाहित/अविवाहित/विधवा/विधुर)	....
05.	पति/पत्नी का नाम	....
06.	विवाहित होने पर जीवित बच्चों की संख्या	.... जन्म दिनांक..............................
07.	26.01.2001 को या उसके के पश्चात् जन्म लिये बच्चों की संख्या	.... जन्म दिनांक ....
08.	यदि निशक्तता हैं तो निशक्तता का प्रकार	1. दृष्टिबाधित 2. श्रवण बाधित 3. अस्थि बाधित
09.	निशक्तता का प्रतिशत	....
10.	जाति	....
11.	संवर्ग (सामान्य/अपिवर्ग/अ.जा./अ.ज.जा.) (आरक्षित वर्ग सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)	....
12.	छ.ग. मूल निवासी प्रमाण पत्र	हॉ/नहीं (यदि हॉं तो संलग्न करें)
13.	जन्म तिथि (अंको में)	....
	(शब्दों में)	....
14.	दिनांक .... को आयु	.... वर्ष .... माह .... दिन
15.	स्थाई पता	....
16.	पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (मोबाइल क्रमांक एवं ई–मेल आई.डी. सहित)	....

17. शैक्षणिक योग्यता :–

क.	उत्तीर्ण परीक्षा/डिग्री	बोर्ड/वि0वि0 का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	विषय	प्राप्त प्रतिशत/ग्रेड	श्रेणी

18. अनुभव

क.	कार्यालय का नाम	पदनाम एवं कार्य की प्रकृति	अवधि

19. वर्तमान में कहीं कार्यरत हो तो कार्यालय का नाम एवं पदनाम (कार्यालय प्रमुख का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....

20 विश्वविद्यालय स्तर पर एन.सी.सी./एन.एस.एस., खेल–कूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों (यदि हों तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)

21. अन्य योग्यता :– ....

22. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची:–

01. 02.

03. 04.

05. 06.

टीपः– जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अन्य प्रमाण–पत्रों की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें ।

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी मेरे विवेक अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही है । इनमें से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरूद्व कार्यवाही की जा सकेगी । इन परिस्थितियों में नियुक्तिकर्ता अधिकारी को बिना कारण बताये मेरा चयन/नियुक्ति को निरस्त करने का अधिकार होगा एवं उसका निर्णय मुझे मान्य होगा ।

स्थान :

दिनांक : आवेदक का नाम और हस्ताक्षर